सं0 पीसीएच–एचए(1)10/2010–60780-811
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषकः

सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

प्रेषितः

(1) समस्त जिलाधीश,
हिमाचल प्रदेश।
(2) समस्त जिला पचांयत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला 24 सितम्बर, 2020.

विषयः– **पचांयतों में सदस्यों के स्थानों व सभापतियां के पदों का आरक्षण।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके ध्यान में लाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियमों 28 (8–A), 87(8–A), 88(8–A), तथा 89(8–A), के प्रावधानों के दृष्टिगत वर्ष 2010 में पचांयतों अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में सदस्यों के स्थानों तथा सभापतियों के पदो के आरक्षण का रोस्टर नए सिरे से लागू किया गया था। अब इस रोस्टर को दूसरी बार चक्रानुक्रमित (Rotate) किया जाना है। अतः हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 की धाराओं 8, 78, 89 व 125 तथा हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 28, 87, 88 तथा 89 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों के स्थानों तथा सभापतियों के पदों को आरक्षित करने के लिए निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैः

1 ग्राम पंचायतों में सदस्यों का आरक्षणः

सबसे पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना की जाएगी अर्थात सबसे पहले रोस्टर अनुसूचित जाति के लिए लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति के सदस्यों के स्थान पचांयत क्षेत्र में उनकी जनसख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएगें। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकडों के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना की जाएगी, इसके पश्चात वर्ष 2010 तथा वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति महिला सहित आरक्षित स्थानों को घटाया जाएगा और शेष वार्डों में से ग्राम पचांयत का वह निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा जहां इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है यदि आरक्षित होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डो की संख्या एक से अधिक है तो अगला ऐसा निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा जहां इस वर्ग की जनसख्या की प्रतिशतता घटते कम में दूसरे स्थान में है। इसी प्रकार आरक्षित स्थानों की पहचान अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते कम में तब तक की जाएगी जब तक

वांछित स्थानों की पहचान पूर्ण नहीं हो जाती। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डो की संख्या 11 है और जनसंख्या के अनुपातः में उस पंचायत में 3 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाते है, तो उक्त 11 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से सर्वप्रथम वे वार्ड निर्वाचन क्षेत्र घटाए जाएगें जो वर्ष 2010 तथा वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित थे। यदि ऐसे वाडों की संख्या गत निर्वाचनों के समय 6 थी तो शेष 5 वार्डों में से 3 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाए जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता घटते कम में एक, दो या तीसरे स्थान पर है। यह ध्यान रखा जाए कि जिस निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है वह निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि निर्वाचन क्षेत्र repeat होता है तो वह उस श्रेणी की उच्चतम प्रतिशतता के अनुरूप होगा।

अगला चरण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से 50 प्रेतिशत निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों को इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षित करने का होगा। यदि अनुसूचित जाति के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड आरक्षित होता है तो वह सीधे उस वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति के लिए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड आरक्षित होते है तो उस अवस्था में आरक्षित स्थानों का 50 प्रतिशत इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा जैसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 3 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से 2 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के भीतर उन निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की पहचान इस प्रकार की जाएगी कि उस वार्ड में अनुसूचित जाति महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता उस वार्ड की कुल जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक है वह निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड इस वर्ग की महिला को आरक्षित किया जाए। यदि अनुसूचित जाति महिला के लिए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड आरक्षित होते है तो घटते कम में वह वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होगा जहां उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता घटते कम में दूसरे स्थान पर है। जैसे कि अनुसूचित जाति के आरक्षित कुल 3 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से 2 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किए जाएगें जहां उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता घटते कम में सबसे अधिक तथा उससे कम है अर्थात पहले तथा दूसरे स्थान पर है।

इसके पश्चात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डो की गणना की जाएगी। अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति के लिए भी पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएगें अर्थात यदि किसी पंचायत में सदस्यों की कुल संख्या 9 है और अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या की प्रतिशतता 10 है तो उस पंचायत में एक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जन–जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के तथा चक्रानुक्रमित (Rotation) की प्रक्रिया वही होगी जो अनुसूचित जाति के मामले में दर्शाई गई है।

क्योंकि ग्राम पंचायत में सदस्यों के स्थानों के लिए पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है अतः इनके स्थानों की गणना नहीं होगी।

उपरोक्त प्रकिया के पश्चात महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना तथा पहचान की जाएगी। पचांयत में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत (जिसमें अनुसूचित जाति महिला व अनुसूचित जनजाति महिला को आरक्षित पद भी शामिल है) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगें। यदि पंचायत में कुल 9 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से 3 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड पहले ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए उपरोक्त प्रकिया अनुसार आरक्षित हो चुके है शेष 2 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें तथा पूर्व में इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षित स्थान घटाए जाएगें। क्योंकि कुल 9 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से 5 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने अनिवार्य है। उक्त 2 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की पहचान भी महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते क्रम में की जाएगी अर्थात 9 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों तथा पूर्व में महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डो को छोडकर शेष वार्डों में से पहले दो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें जहां महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता घटते क्रम में सबसे अधिक तथा उससे कम है।

2 पचांयत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों/ वार्डों का आरक्षणः

पचांयत समिति तथा जिला परिषद में सदस्यों के स्थानों को आरक्षित करने तथा उनकी गणना करने का मूल सिद्धांत वही रहेगा जिसका उल्लेख ग्राम पचांयत के मामले में क0सं0 1 में किया गया है। ग्राम पंचायत में सदस्यों के स्थानों के लिए पिछडा वर्ग को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया परन्तु पचांयत समिति तथा जिला परिषद स्तर पर पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की गणना तथा पहचान भी की जानी है। पिछडा वर्ग को आरक्षण पंचायत समिति व जिला परिषद क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया गया है। परन्तु यह आरक्षण 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। यदि किसी पंचायत समिति व जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में पिछडा वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है तो वह निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा और यदि पंचायत समिति व जिला परिषद क्षेत्र में भी पिछडा वर्ग की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है तो उस अवस्था में उस जिला परिषद व पंचायत समिति में पिछडा वर्ग के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा। पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें यदि आरक्षित स्थानों की संख्या 1 है तो वह स्थान सीधे पिछडा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। यदि पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 1 से अधिक है तो उस अवस्था में 50 प्रतिशत

स्थान उक्त वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पंचायत समिति व जिला परिषद में पिछडा वर्ग के लिए 3 स्थान आरक्षित होते है तो 2 स्थान पिछडा वर्ग महिला के लिए आरक्षित होगें। क्योंकि पिछडा वर्ग की महिलाओं की प्रतिशतता के आंकडे अलग से उपलब्ध नहीं है इसलिए पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित 3 निर्वाचन क्षेत्र /वार्डो में से वे दो निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षित किए जाएगें जहां महिलाओं की प्रतिशतता सबसे अधिक तथा घटते कम में उससे कम है। इस प्रकिया में गत निर्वाचनों में इस वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को घटाया जाएगा। पचांयत समिति तथा जिला परिषद में कुल स्थानों में से महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण की गणना करते समय अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला तथा पिछडा वर्ग की महिला को उपरोक्त अनुसार आरक्षित स्थानों को घटाकर की जाएगी अर्थात यदि किसी जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 24 है तो महिलाओं के लिए 12 स्थान आरक्षित होगें। यदि उस जिला परिषद में अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 3 स्थान तथा पिछडा वर्ग महिला के लिए 1 स्थान पहले ही उक्त श्रेणियों को आरक्षित स्थानों में से आरक्षित हो चुके है तो शेष (12–4=8 स्थान) सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें। उक्त 8 वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान भी महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते कम में की जाएगी। अर्थात 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से पूर्व में सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डो को छोडकर शेष वार्डो में से पहले 8 वार्ड सामान्य महिलाओं को आरक्षित होंगें। जहां महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता घटते कम में क0 संख्या 1 से 8 तक होगी। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में आरक्षण की गणना करने के लिए विकास खण्ड स्तर पर जनसंख्या के आंकडे तथा जिला परिषद में निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में आरक्षण की गणना के लिए जिला स्तर पर जनसंख्या के आंकडे आधार होंगें।

3 ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षणः

ग्राम पंचायत के प्रधानों के पदो के आरक्षण के लिए विकास खण्ड को एक ईकाई माना गया है तथा इन पदो के आरक्षण की गणना विकास खण्ड स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में की जाती हैं । सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए रोस्टर लागू किया जाएगा। प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम पंचायत के प्रधानों के पद अनुसूचित जाति के लिए विकास खण्ड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएगें। इसके पश्चात गत निर्वाचन वर्ष 2010 तथा 2015 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को कम किया जाएगा और शेष बचे पदों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या की अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाली ग्राम पंचायतों में प्रधानों के पद इस वर्ग के लिए आरक्षित होंगें। यदि आरक्षित होने वाले प्रधानों के पदों की संख्या 1 से अधिक हो तो अगली अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाली पंचायतों में प्रधान का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा और ऐसा कम तब तक जारी रहेगा जब तक निर्धारित संख्या के बराबर पंचायतों में

प्रधान के पद इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो जाते। यदि किसी ग्राम पचांयत में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है तो उस अवस्था में उस पंचायत में प्रधान का पद अनुसूचित जाति को आरक्षित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि विकास खण्ड में ही अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है तो उस विकास खण्ड में प्रधान को कोई भी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं होगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगें। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पचांयत प्रधानों में से उन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित होगें जहां उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक है यदि ऐसे पदों की संख्या 1 से अधिक हो तो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिलाओं की अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता रखने वाली अगली ग्राम पंचायत ऐसी महिलाओं को आरक्षित की जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति के लिए प्रधानों के पद विकास खण्ड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगें। जनजाति को आरक्षित कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद उनकी महिलाओं को उसी प्रकार आरक्षित किए जाएगें जिस प्रकार अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए उपरोक्त प्रकिया अनुसार आरक्षित किए गए हैं । परन्तु जिस पंचायत में अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है उस पंचायत में प्रधान का पद अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि विकास खण्ड में अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम हो तो उस विकास खण्ड में प्रधान का कोई भी पद अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

विकास खण्डों में प्रधानों के पद पिछडा वर्ग के लिए भी विकास खण्डों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएगें परन्तु यह आरक्षण 15 प्रतिशित से अधिक नहीं होगा। पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें जिस प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति महिलाओं को उपरोक्त प्रकिया अनुसार किए गए है क्योंकि पिछडा वर्ग महिलाओं की प्रतिशतता के आकडे अलग से उपलब्ध नहीं कराए गए है इसलिए पिछडा वर्ग की महिलाओं को आरक्षित होने वाले प्रधानों के पदों की पहचान करने के लिए महिलाओं की प्रतिशतता के आंकडे आधार होंगे। अर्थात यदि किसी विकास खण्ड में प्रधानों के पद पिछडा वर्ग को आरक्षित होते है तो उक्त ग्राम पचांयत प्रधान पदों में से उस ग्राम पंचायत में प्रधान का पद पिछडा वर्ग की महिलाओं को आरक्षित होगा जिनमें महिलाओं की प्रतिशतता अधिक है। पिछडा वर्ग के मामले में भी उन विकास खण्डों में कोई भी प्रधान पद आरक्षित नहीं किया जाएगा जहां इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम हैं । यदि विकास खण्ड में इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है तो विकास खण्ड के भीतर प्रधान का कोई भी पद पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा। चकानुक्रमित (Rotation) निर्धारित करने के लिए इस वर्ग के लिए 2010 एवं 2015 में आरक्षित पदों को कम किया जाएगा।

विकास खण्ड में कुल प्रधानों के पदों में से 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछडा वर्ग की महिलाएं भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विकास खण्ड में कुल पचांयतों की संख्या 41 है तो 21

पचांयतों में प्रधानों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें। यदि अनुसूचित जाति महिला के लिए 4, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 3 तथा पिछडा वर्ग महिला के लिए 1 पद उपरोक्त अनुसार पहले ही आरक्षित हो चुके है तो शेष (21–8=13) प्रधानों के पद शेष पचांयतों में सामान्य महिलाओं को महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते कम में आरक्षित किए जाएगे। परन्तु ऐसा करते समय गत निर्वाचन 2010 एवं 2015 में सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को कम किया जाएगा।

4 पचांयत समिति अध्यक्षों के पदों का आरक्षणः

पचांयत समिति के अध्यक्षों के पदो के आरक्षण के लिए जिला को एक इकाई माना गया हैं तथा इन पदो के आरक्षण की गणना जिला स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछडा वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में की जाएगी तथा कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद महिलाओं को आरक्षित होंगें। इन वर्गो के लिए आरक्षित पदों की पहचान के लिए वही प्रकिया अपनाई जाएगी जो कम संख्या 3 पर प्रधानों के लिए अपनाई गई है। यदि किसी पंचायत समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है तो उस अवस्था में पचांयत समिति के अध्यक्ष का पद इन वर्गो के लिए आरक्षित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि जिला में ही इन वर्गो की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है तो उस जिले में पंचायत समिति के अध्यक्ष का कोई भी पद इन वर्गो के लिए आरक्षित नहीं होगा।

यह ध्यान रखा जाए कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सभापतियों के पदों हेतु आरक्षण PESA अधिनियम के प्रावधानानुसार किया जाए अर्थात सभापतियों के समस्त पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगें।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के आंकडों पर आधारित होगी जबकि पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण, हिमाचल प्रदेश पिछडा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 1993–94 में किए गए सर्वेक्षण के आंकडों जिन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2010 में राजपत्रा दिनांक 9.11.2010 को प्रकाशित किया गया है, पर आधारित होगा। आरक्षण की प्रकिया यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिशिचित किया जाए।

हाल ही में सरकार द्वारा नई ग्राम पचांयतों के गठनों के साथ–2 कुछ ग्राम सभाओं का पुर्नगठन किया गया है इसके अतिरिक्त कुपवी जिला शिमला तथा बालीचौकी जिला मण्डी में नई पंचायत समितियों के गठन भी किया गया है जिसके फलस्वरूप वार्डों की सीमाओं के पुर्ननिर्धारण के साथ–2 कुछ नए वार्डों का गठन भी किया गया हैं। आरक्षण के चकानुकम को निर्धारित करने के लिए ऐसे वार्डों तथा ग्राम पंचायतों का पूर्व आरक्षित Status निर्धारित करना

आवश्यक है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि नए पुर्नगठित वार्ड का गत आरक्षण का Status वही होगा जिस वार्ड से ऐसे नए गठित/पुर्नसीमांकित वार्ड में जिस वार्ड की अधिकतम जनसंख्या सम्मिलित की गई है। उदाहरण के लिए यदि नया वार्ड सं0 6 वर्ष 2015 के वार्ड संख्या 2, 3 व 4 के कुछ भागों को मिलाकर बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में जिस वार्ड की अधिकतम जनसंख्या नये वार्ड संख्या 6 में सम्मिलित की गई है तो उस वार्ड का आरक्षण Status वही माना जाएगा। मान लो वार्ड संख्या 3 की अधिकतम जनसंख्या वार्ड संख्या 6 में सम्मिलित की गई हो तथा वह वार्ड 2015 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो तो ऐसी स्थिति में वार्ड संख्या 6 आरक्षण Status 2015 के संदर्भ में चकानुक्रम निर्धारित करने हेतु अनुसूचित जाति माना जाएगा। यही तरीका नवगठित पचांयतों के मामलें में भी अपनाया जाएगा। नव गठित पचांयत का गत आरक्षण Status वही होगा जो उस पंचायत का है जिससे नई पंचायत बनी है। यदि नई पंचायत दो या दो से अधिक ग्राम पचांयतों से बनी है तो एसी स्थिति में नई पचांयत के आरक्षण का Status वही रहेगा जिस पचांयत की सबसे अधिक जनसख्या उसमें शामिल की गई है। इसी प्रकार ऐसे वार्डो तथा ग्राम पचांयतों का 2010 का Status भी निर्धारित किया जाएगा।

कुछ वार्ड तथा ग्रम पचांयतें पिछले चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी परन्तु इन पचांयतों तथा वार्डों को बाद में नियमानुसार इस कारण से अनारक्षित करना पडा कि वहां उक्त वर्ग की जनसंख्या ही उपलब्ध नहीं थी। अतः जो पचांयतें तथा वार्ड गत निर्वाचन के पश्चात अनारक्षित किए गए उन वार्डों/ पचांयतों को इस बार उस श्रेणी के आरक्षण के लिए न विचारा जाए।

आरक्षण की प्रकिया में हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 तथा इसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों तथा उक्त दिशा–निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाए अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटी के लिए सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

भवदीय,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.